न्यायालय–अति. अपर सत्र न्यायाधीश, सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

जमानत आवे0कं0 73/2023

फाईलिंग नं0/603/2023

सी.एन.आर.–एम.पी.1706–001091–2023

कल्पना भारती पति उमेश भारतीय,
उम्र–27 वर्ष, निवासी ग्राम रिमारी,
थाना गढ़, जिला रीवा म0प्र0

———आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन व्दारा आरक्षी केन्द्र गढ़
जिला रीवा म0प्र0

————————अभियोगी

अपराध धारा 498ए, 304बी भा0दं0वि0
एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0

10–05–2023

आवेदक/आरोपी व्दारा अधिवक्ता श्री नवनीत द्विवेदी उपस्थित।

राज्य व्दारा ए0जी0पी0 श्री हेमराज पाण्डेय उपस्थित।

प्रकरण आवेदक/आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के तर्क हेतु नियत है।

थाना गढ़ के अपराध कमांक 168/2023 की केस डायरी प्राप्त।

आवेदिका/आरोपी के अधिवक्ता ने सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया।

प्रतिलिपि अपर लोक अभियोजक को प्रदान की जावे।

अभियुक्त/आवेदिका के विरूद्ध थाना गढ़ जिला रीवा में दिनांक 23.04.2023 को अपराध कमांक 168/2023 पर भादवि0 की धारा 498ए, 304बी भा0दं0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई है, जिसमें अभियुक्त/आवेदिका गिरफ्तार नहीं हुई है तथा प्रतिवेदन के साथ उसका कोई आपराधिक रिकार्ड संलग्न नहीं किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के धारा 438 दं0प्र0सं0 के आवेदन पर तर्क सुने गये।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

छठिलाल वर्मा ने स्वयं का शपथ पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि यह आवेदिका का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र है।

इसके अतिरिक्त न तो माननीय उच्च न्यायालय में और न ही जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। उसने प्रकरण की पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री केशव प्रसाद पाण्डेय व अन्य सहयोगियो को नियुक्त किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक व्दारा कोई आपत्ति नहीं की गई है कि आवेदिका/आरोपी का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन नहीं है। इस संबंध में ऐसे कोई तथ्य नहीं बताये गये हैं कि पूर्व में कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से निराकृत हुआ है या लंबित है। जिससे कि यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन प्रतीत होता है।

आवेदिका/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतिका आरती भारती की दिनांक 20.04.2023 को रात्रि 12 बजे रासायनिक दवाई खा लेने से मृत्यु हो गई है तथा आवेदिका/अभियुक्त मृतिका की जेठानी है तथा मृतिका के मायके वालों ने आक्रोशवश उसे आरोपी बनवाया है। आवेदिका के पति एवं मृतिका के पति का आपसी बंटवारा हो चुका है, दोनों परिवार अलग अलग निवास करते हैं। आवेदिका का एक पुत्र 07 वर्ष का है तथा आवेदिका का पति खाने कमाने हेतु बड़ोदरा में प्राइवेट नौकरी करता है तथा आवेदिका गृह ग्राम छोड़कर बच्चे की पढ़ाई हेतु ग्राम गढ़ में किराये के मकान में रहती है। आवेदिका का इस घटना से कोई संबंध नहीं रहा है फिर भी पुलिस ने उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आवेदिका द्वारा कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई तथा गंभीर प्रकृति का अपराध होने के कारण पुलिस गिरफ्तार करने की फिराक में है। अतः आवेदिका को अग्रिम जमानत दिये जाने की प्रार्थना की है।

अपर लोक अभियोजक व्दारा यह आपत्ति की गई है कि गंभीर अपराध है। जमानत पर छोड़े जाने पर साक्षियों को प्रभावित करेंगा। उपरोक्त आधार पर आवेदक/आरोपी का अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया जाए।

अभियोजन मामले के अनुसार मृतिका आरती भारती ने दिनांक 20.04.2023 को कीटनाशक जहरीली दवा खा ली थी, जिसे परिजनों के द्वारा उपचार हेतु एस.जी.एम.एच रीवा में भर्ती करवाया गया था और दिनांक 21.04.2023 को उसकी मृत्यु हो गई। मृतिका नवब्याहता होने के कारण शव का पंचायतनामा कराया जाकर उसका पी.एम. कराया गया। उसके मायके पक्ष के अनुसार मृतिका की शादी के 06 माह बाद से लगातार मृतिका का पति विनोद भारती एवं उसकी जेठानी श्रीमती कल्पना भारती द्वारा दहेज में कम सामान मिलने की बात को लेकर

लगातार मृतिका को दहेज में 2,00,000/– रूपये एवं मोटरसायकिल दिलाने की मांग करते थे और 2,00,000/– रूपये तथा मोटरसायकिल न दिला पाने के कारण उसके साथ गाली गलौज एवं मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना देते थे, जिस कारण से मृतिका ने आत्महत्या करने के लिये जहरीली कीटनाशक दवा खा ली। जिस संबंध में थाना गढ़ की पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 168/2023 पर आवेदिका एवं मृतिका के पति के विरूद्ध 498ए, 304बी भा0दं0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।

केस डायरी के अवलोकन से अभियोजन के अनुसार मृतिका आरती भारती का विवाह दिनांक 29.05.2021 को विनोद भारती के साथ हुआ था और शादी के 6 माह बाद से आवेदिका एवं मृतिका के पति द्वारा 2,00,000/– रूपये एवं मोटरसायकिल की मांग की गई तथा उक्त न दिला पाने के कारण मृतिका के साथ गाली गलौज एवं मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा आवेदिका एवं मृतिका के पति के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा0दं0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर प्रकरण अन्वेषण के प्रक्रम पर है।

यद्यपि आवेदिका के द्वारा कच्चा आपसी बंटनवारा प्रस्तुत किया गया है और उसके अनुसार आवेदिका के पति एवं मृतिका के पति के मध्य हिस्सा बांट हो चुका है किन्तु उक्त कच्चा बंटनवारा एक सादे कागज पर है और उस बंटवारा के आधार पर कभी कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा आवेदिका के द्वारा दर्शित नहीं किया गया है तथा आवेदिका के द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर एक किरायेनामे की छायाप्रति को प्रस्तुत किया है, जिसे तैयार करने की तिथि दिनांक 02.05.2023 है, जो कि घटना दिनांक के पश्चात का है तब उक्त दोनों दस्तावेज के आधार पर आवेदिका के पति एवं मृतिका के पति के मध्य बंटनवारा होना और उनका पृथक निवास करना इस प्रक्रम पर नहीं कहा जा सकता है।

मृतिका की मृत्यु उसके विवाह दिनांक से 02 वर्ष के भीतर होना अभियोजन मामले के अनुसार दर्शित है तथा आवेदिका/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला अन्वेषण के प्रक्रम पर है। आवेदिका/अभियुक्त की ओर से न्याय दृष्टांत अनीता शर्मा (श्रीमती) विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2022 एम.पी.डब्ल्यू.एम.39 प्रस्तुत किया गया है किन्तु उक्त मामले में आवेदिका सरकारी कर्मचारी थी तथा मृतिका की मृत्यु उसके विवाह दिनांक से 02

वर्ष के भीतर होने से आवेदिका को इस प्रकरण की परिस्थियां भिन्न होने से उक्त न्याय दृष्टांत का फायदा प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त/आवेदिका कल्पना भारती को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन पत्र उचित प्रतीत न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ केस डायरी वापस किया जाकर पावती ली जावे।

प्रकरण का परिणाम दायरा पंजी एवं सी0आई0एस0 में दर्जकर अभिलेखागार में संचित किया जा वे।

सही/–
(संजय वर्मा)
अति. अपर सत्र न्यायाधीश
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0